

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2024

जयपुर, दिनांक :

आदेश

विभाग के निम्नांकित आदेश में निम्न चिकित्सक के आदेश में उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार संशोधन तुरन्त प्रभाव से किया जाता है:-

क्र. सं.	चिकित्सक का नाम व पदनाम	आदेश क्रमांक एवं दिनांक	संशोधन
1	डा. महेन्द्र कुमार, चिकित्सा अधिकारी (शिशु रोग)	प.1(1)चिस्वा/2/2024 दिनांक 18.01.2024	चिकित्सक के पदस्थापन स्थान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रानी, पाली के स्थान पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रानी, पाली के लिए स्थानान्तरणाधीन संशोधित कर पढा जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(निमिषा गुप्ता)

संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग एवं
पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
3. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर/अजमेर
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली
6. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, कुचामनसिटी, नागौर
7. संबंधित अधिकारी
8. कम्प्यूटर सेल/ निजी /रक्षित पत्रावली।
9. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश आज ही विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करावें।

संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

RajKaj Ref
5371352



Digitally signed by Nimisha Gupta
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2024.01.18 14:29:44 IST
Reason: Approved